

GST परिषद की 45वीं बैठक

प्रलिस के लयः

GST परिषद, GST


मेन्स के लयः

GST परिषद की संरचना और संबधति मुददे

चरचा में क्योँ?

हाल ही में [वसतु एवं सेवा कर \(GST\) परिषद](#) की 45वीं बैठक संपन्न हुई ।

What's in store | The 45th GST Council meeting was chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman in Lucknow on Friday. Among the key decisions are:

<ul style="list-style-type: none"> Concessional tax rates on COVID-19 essential medicines like Tocilizumab extended till December 31 	<ul style="list-style-type: none"> Tax on fortified rice kernels for ICDS scheme reduced from 18% to 5%
<ul style="list-style-type: none"> Muscular atrophy drugs such as Zolgensma and Viltepso that cost around ₹16 cr. exempted from GST 	<ul style="list-style-type: none"> GST on cancer drug Keytruda brought down from 12% to 5%
<ul style="list-style-type: none"> Import of leased aircraft exempted from I-GST 	
<ul style="list-style-type: none"> Food delivery apps to collect GST instead of restaurants 	

प्रमुख बदि

- रयियती GST दरों का वसितार:
 - परषिद ने दसिंबर 2021 तक कोवडि-19 उपचार से संबधति कई दवाओं पर GST राहत के वसितार का नरिणय लयि ।
- खादय वतारण एप्स एकत्तर करेंगे GST:
 - अब रेसुत्तराँ भागीदारों के बजाय ऑनलाइन फूड डलिवरी एग्रीगेटर फरम जैसे स्वगी और ज़ोमैटो GST का भुगतान करने के लयि उत्तरदायी होंगे ।
 - वसुत्तमान में फूड एग्रीगेटर्स दवारा उत्पन्न ऑनलाइन बलियों में पहले से ही GST एक कर घटक होता है ।
 - अभी तक कर की राशा का भुगतान रेसुत्तराँ भागीदारों को वापस कर दयिा जाता है, जनिसे उम्मीद की जाती है कविे इस राशा का भुगतान सरकार को करेंगे ।
- पेट्रोल-डीज़ल GST के दायरे में नहीं आएगा:
 - परषिद ने पेट्रोल और डीज़ल को GST के दायरे में नहीं लाने का फैसला कयिा है । राज्यों ने इनकी कीमतों में उछाल पर चलिा जताते हुए बैठक के दौरान ईधन को शामिल करने का कड़ा वरिोध कयिा ।

- यदि पेट्रोल और डीज़ल GST व्यवस्था के तहत आते हैं, तो कीमतें सभी राज्यों में एक समान हो जाएगी क्योंकि केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए वभिन्न उत्पाद शुल्क तथा वैट दरों को हटा दिया जाएगा।
- इससे डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में महत्वपूर्ण कमी लाने में मदद मिलेगी, हाल के समय में जनिकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं।
- फोर्टफाइड चावल पर GST घटाया गया:
 - एकीकृत बाल विकास योजना जैसी योजनाओं के लिये फोर्टफाइड चावल पर GST दर को 18% से घटाकर 5% करने की सफारिश की गई है।
- दर को युक्तसिंगत बनाने के लिये GOM:
 - रविर्स शुल्क ढाँचे को ठीक करने और राजस्व बढ़ाने के प्रयास हेतु दर युक्तिकरण संबंधी मुद्दों को देखने के लिये राज्य के मंत्रियों के एक समूह (GOM) का गठन किया जाएगा।
 - रविर्स शुल्क संरचना तब उत्पन्न होती है जब आउटपुट या अंतिम उत्पाद पर कर, इनपुट पर कर से कम होता है, इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक रविर्स संचय होता है जिसे ज़्यादातर मामलों में वापस करना पड़ता है।
 - रविर्स शुल्क संरचना (Inverted Duty Structure) में राजस्व बहरिवाह की समस्या नहिती है, इसके लिये सरकार को शुल्क संरचना पर फरि से वधिार करना चाहयि।
 - ई-वे बलि, फ्रासटैंग, अनुपालन (Compliances), प्रौद्योगिकी, वर्तमान कमयिों को दूर करने, कंपोज़िशिन स्कीम आदि के मुद्दों को व्यवस्थति करने के लिये अन्य GOM स्थापति कयि जाएंगे।

GST परषिद

- यह माल और सेवा कर से संबंधति मुद्दों पर केंद्र एवं राज्य सरकार को सफारिशिं करने के लिये अनुच्छेद 279A के तहत एक संवैधानकि नकिय है।
- GST परषिद की अधयकषता केंद्रीय वतित मंत्री करता है और सभी राज्यों के वतित मंत्री परषिद के सदस्य होते हैं।
- इसे एक संधीय नकिय के रूप में स्थापति कयि गया है जहाँ केंद्र और राज्यों दोनों को उचति परतनिधितिव मलिता है।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/45th-gst-council-meeting>

